

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

एस० के० शतपथी
प्रधान सचिव।

सेवा में,

मुख्य अभियंता, रूपांकण, समग्र योजना एवं जल विज्ञान, राँची;
संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी;
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

राँची, दिनांक: 8-10-12

विषय :- माँग संख्या-12-वित्त विभाग के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष-2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं, लघु शीर्ष-800- अन्य व्यय, उप शीर्ष-08-विविध तथा आकस्मिक व्यय, विस्तृत शीर्ष-06-अनुदान, 46-सहायता अनुदान सामान्य (वेतन) विपत्र कोड-12N207000800080646 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012-13 में व्यय हेतु प्राप्त राशि का उप-आवंटन।


महाशय,


वित्तीय वर्ष 2012-2013 में व्यय हेतु बजट मुख्य शीर्ष 2070- अन्य प्रशासनिक सेवाएं, लघु शीर्ष-800- अन्य व्यय, उप शीर्ष-08-विविध तथा आकस्मिक व्यय, विस्तृत शीर्ष-06-अनुदान, 46-सहायता अनुदान सामान्य (वेतन)/12N207000800080646 के अंतर्गत वित्त विभाग के पत्रांक-11/बी० टी०-03/2012-13/300 बजट दिनांक-03.09.12 से प्राप्त राशि को निम्न रूप में दर्शाये गये निम्नांकित कार्यालय को उप-आवंटित किया जाता है :-


क्र.सं.	कार्यालय का नाम	मुख्य अभियंता परिक्षेत्र	कार्य का नाम	कुल आवंटन (लाख ₹ में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	समग्र योजना अन्वेषण एवं जल विज्ञान अंचल-1, राँची।	रूपांकण समग्र योजना एवं जल विज्ञान, राँची	स्व० हरिशंकर प्रसाद, तत्कालीन कनीय अभियंता, समग्र योजना अन्वेषण एवं जल विज्ञान अंचल-1, राँची जिनकी हत्या कर्तव्य के दौरान अपहरण एवं तत्पश्चात् दिनांक 18.02.2004 को रजौली थाना के परिक्षेत्र में हुई थी, की विधवा श्रीमती विजय बाला सिन्हा को अनुग्रह अनुदान की राशि के भुगतान हेतु।	3.50	

आवंटित राशि - ₹ तीन लाख पचास हजार मात्र।

- आवंटित राशि वर्ष 2012-2013 में वित्त विभाग के आवंटन पत्रांक-300 बजट, दिनांक-03.09.12 द्वारा प्राप्त राशि ₹ 3.50 (तीन लाख पचास हजार) के अन्तर्गत है।
- निकासी व्ययन पदाधिकारी द्वारा राशि की निकासी कर एवं नियमानुसार भुगतान कर अनुपालन प्रतिवेदन विभाग को अविलम्ब भेजेंगे।
- आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98 एवं 1800 (वि.) दि. 15.07.2003 के आलोक में होगा।
- उप-आवंटित राशि का व्यय जल संसाधन विभाग द्वारा निर्गत स्वीकृत्यादेश सं०-3/विविध-7-128/2004/- 3771 दिनांक-31.07.12 एवं वित्त विभाग द्वारा निर्गत आवंटन में अंकित शर्तों के अनुरूप किया जायेगा।
- संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता समीक्षा स्वयं करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।


(सुरेश प्रसाद भगत)
सहायक अभियंता


(सुबोध कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि.)


(बी. सी. निगम)
विशेष सचिव

7. राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन/ उपआवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।
8. राशि की निकासी कर उसे चालू/बचत खाता में नहीं रखा जाय।
9. आवंटित राशि से अन्य दायित्व का भुगतान या अन्य मद में व्यय बिना अनुमति के नहीं किया जाय।
10. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारित करेंगे। प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
11. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
12. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार राँची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
13. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 31 जनवरी 2013 तक निश्चित रूप से कर देंगे।

नोट : यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।

अनु.-वित्त विभाग का आवंटनादेश

सं.-300/ दि.-03.09.12 की प्रति

(एस० के० शतपथी)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :-

124

राँची, दिनांक :- 8-10-12

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा एवं हक.) झारखण्ड पो. - हिनू, राँची/कोषागार पदाधिकारी, राँची/डोरण्डा सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु.-वित्त विभाग का आवंटनादेश

सं.-300/ दि.-03.09.12 की प्रति

(एस० के० शतपथी)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :-

124

राँची, दिनांक :- 8-10-12

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त,/सचिव, योजना एवं विकास विभाग/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग/आंतरिक वित्तीय सलाहकार जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.) राँची/अभियंता प्रमुख -I एवं II जल संसाधन विभाग /संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.) जल संसाधन विभाग को पाँच प्रति/प्रशाखा-7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/सांख्यिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/ प्रधान सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/श्रीमती विजय बाला सिंह, (द्वारा-श्रीमती रीता प्रसाद), मो०-सरस्वती नगर, पा०-कमडे, थाना-रातू, जिला राँची-835222/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(सुरेश प्रसाद भगत)
सहायक अभियंता

(सुबोध कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि.)

(बी. सी. निगम)
विशेष सचिव

(एस० के० शतपथी)
प्रधान सचिव